न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

कालूराम बनाम रोडूराम

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/06/2025

08.01.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 101/0.2400, 102/1777/0.0400, 11/0.1400, 12/0.1400, 13/0.1400, 14/0.1400, 15/0.1700, 2/0.2000, 22/0.1900, 54/0.2000, 58/0.4100, 70/0.2000, 71/1814/0.1000, 72/0.1400, 74/0.0800, 94/0.3100, कुल किता 17 कुल रकबा 3.000 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी के हिस्से 5/24 को जबरन बेदखल नही करे। न स्वयं कब्जा करें तथा प्रार्थी को उसके हिस्सेनुसार उक्त आराजी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नही करें। झगड़ा फिसाद नही करें। वादी के हिस्सा में आई आराजी में आने जाने के लिए रास्ता का किसी भी प्रकार से अवरुद्ध नही करें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात में वादी का हिस्सा 5/24 व शेष हिस्सा 19/24 प्रतिवादीगण व सह खातेदार मुताबिक जमाबन्दी है। पक्षकारान की शामलाती आराजी है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 101/0.2400, 102/1777/0.0400, 11/0.1400, 12/0.1400, 13/0.1400, 14/0.1400, 15/0.1700, 2/0.2000, 22/0.1900, 54/0.2000, 58/0.4100, 70/0.2000, 71/1814/0.1000, 72/0.1400, 74/0.0800, 94/0.3100, कुल किता 17 कुल रकबा 3.000 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर में आगामी आदेशों तक मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। मौके पर आमद रफत में किसी भी प्रकार की कोई रूकावट उपस्थित ना करें। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना पर प्रभावी नही रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 14.02.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

14/02/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/06/25 पत्रावली पेश। मुकदमा उप० मूलवाद के पक्षकारान व मूलवाद के निवेदन पर खारीज होने के कारण प्र.पत्र 212 भी खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर